7/2/23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा०प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक रुक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:09:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या– 07/23 प्रा0पत्र

1– श्री चुन्नीलाल s/o श्री कजोड़ बैरवा निवासी– भीमड़ियास तहसील– मांडल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री भगवान s/o छीतर बलाई निवासी– भीमड़ियास तहसील– मांडल
2. श्रीमती केसर देवी w/o नारायणलाल बुनकर निवासी– बलाष्ठा तहसील आसींद
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० मांडल तहसील– मांडल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :– 07.02.23

::आदेश::

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन या कि ग्राम भीमड़ियास पटवार हल्का भीमड़ियास तहसील माण्डल मे उसके ते/संयुक्त खाते की आराजी नं 1514/569 कुल किता 01 रकबा 0.3794 यर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नही होने से आये सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की गढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 11.01.23 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते र्मिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमड़ियास पटवार ड़ियास तहसील माण्डल मे उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी न 1514/569 01 रकबा 0.3794 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने भगवानपुरा को 500/– रूपये/– [illegible] बिन्दु को आधार न की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति [illegible] पत्थरगढी नहीं की जावे [illegible] थगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:09:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी